IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

भारत की राजनीति में अपराधीकरण के कारणों पर एक अध्ययन

श्री ललन कुमार मंडल

सहायक प्राध्यापक, राजनीति विज्ञान विभाग,मुंगेर विश्वविद्यालय,मुंगेर (बिहार)

सारांश (Abstract)

अब्राहम लिंकन के अनुसार "लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा और जनता के लिए शासन है"। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। राजनीति में अपराधीकरण से तात्पर्य यह है कि राजनीति के अंदर अपराधियों का प्रवेश होना। अर्थात आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों का राजनेता और प्रतिनिधि के रूप में चुना जाना। जब अपराधी देश के कानून निर्माता बन जाएं तो उस देश का क्या हो सकता है? राजनीतिक दलों द्वारा सत्ता और वोट बैंक की राजनीति ने अपराधियों को राजनीति में आने के लिए विवश किया है। स्वतंत्रता के दो दशक तक अपराधी नेताओं को जिताने के लिए कार्य करते रहे परंतु 1980 के दशक तक आते आते अपराधी स्वयं चुनाव लड़ने लगे और जीतकर नेता बनने लगे। **एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR)** के आंकड़ों के अनुसार, **2019** के आम चुनाव में 43 प्रतिशत अपराधी नेता चुनकर आए हैं। इसमें लगभग सभी राजनीतिक दलों की स्थिति एक जैसी ही है। भारत में यह एक गंभीर समस्या है। इस पर गहन चिंतन और शोध की आवश्यकता है की राजनीति में अपराधीकरण के कारणों का पता कर उसका समाधान किया जाए नहीं तो यह समस्या हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था को छिन्न-भिन्न कर सकती है। देश की राजनीति में बाहुबलियों का वर्चस्व भविष्य में लोकतंत्र के लिए खतरा साबित हो सकता है।

मुख्य शब्द (keywords)- लोकतंत्र, राजनीतिक दल, अपराधीकरण, बाहुबली, अपराधी, राजनीति

प्रस्तावना (Introduction)

प्रस्तुत शोध राजनीति में आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों की लगातार बढ़ती संख्या के कारणों को ज्ञात करने के संदर्भ में है।

भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र में जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनने के लिए स्वतंत्र होती है। राजनीति के अपराधीकरण का अर्थ राजनीति में आपराधिक आरोपों का सामना कर रहे लोगों और अपराधियों की बढ़ती भागीदारी से है। सामान्य अर्थों में यह शब्द आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों का राजनेता

और प्रतिनिधि के रूप में चुने जाने का घोतक है। अपराधी चुनाव लड़कर संसद या राज्य विधानमंडलों में सदस्यों के रूप में निर्वाचित हो सकते हैं। यह मुख्य रूप से नेताओं और अपराधियों के बीच साँठ-गाँठ के कारण होता है। भारतीय राजनीति में आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। वर्तमान में आपराधिक छवि के नेता भी मंत्री बन रहे हैं। इनको भारत की जनता मूक बन झेल रही है। इन मंत्रियों के पास अकूत संपत्ति है, जिससे ये किसी को कुछ नहीं समझते हैं। वे मनमानी करते है। देश की राजनीति में बाहुबलियों का वर्चस्व बढ़ रहा है, जो भविष्य में लोकतंत्र के लिए खतरा साबित हो सकता है। सभी राजनीतिक दल बाहुबलियों के बल पर ही सत्ता हथियाने की कोशिश में लगे हुए है। अत: कोई भी शरीफ इंसान भारत की राजनीति में कदम रखना नहीं चाहता है और कदम रख भी दे तो वह टिक नहीं पाता। राजनीति साफ-सुथरी होनी चाहिए, तभी देश की समस्याओं का समाधान होगा। संसद हो या विधानसभाएं आपराधिक प्रवृत्ति के नेता हर जगह हैं। यह भारतीय राजनीति के बिगड़ते स्वरूप को दर्शाता है। बाहुबल, धनबल, दलबदल का त्रिसूत्र भारतीय राजनीति को दूषित कर रहा है। वर्तमान में राजनीति और अपराध एक सूत्र में बंध चुके हैं। अपराधी और राजनेता का गठजोड़ एक ही सिद्धांत पर चलता है-'एक रहो और राज करो'। इसके पीछे मूल कारण राजनीति में योग्यता को मानदंड ना मानकर धन और बाहुबल के आधार पर जनप्रतिनिधियों को चुना जाना है। इससे राजनीति में अपराधियों को बढ़ावा मिल रहा है। देश की राजनीति में बढ़ते अपराधीकरण के परिणामस्वरूप आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। इनकी उपस्थिति का लोकतंत्र की गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। राजनीतिक प्रभाव के कारण अपराधियों के विरुद्ध जांच प्रक्रिया धीमी हो जाती है।

राजनीति में अपराधियों का प्रवेश –

नेता पहले अपराधियों की सहायता से चुनाव जीतकर राजनीति में अपने आपको मजबूत करते थे। धीरे-धीरे अपराधियों को राजनीति रास आने लगी। अब अपराधी स्वयं चुनाव लड़कर सत्ता पर कब्जा करने जुट गए हैं। अपराधी तत्वों के लिए राजनीति स्व-हित साधने का साधन है। आपराधिक प्रवृत्ति के नामीग्रामी चेहरों के लिए भारतीय राजनीति शरण स्थली बन चुकी है। कई अपराधिक मामले दर्ज होने के उपरांत भी राजनीतिक दल इन्हें चुनाव में अपने दल का मुखौटा बनाकर मैदान में उतारते हैं और इनके रौब का इस्तेमाल आम जन को प्रभावित करने के लिए करते हैं। गौरतलब है कि अपराधियों को सदैव राजनीतिक संरक्षण प्राप्त रहा है। सभी राजनीतिक दलों के कई जनप्रतिनिधियों व पदाधिकारियों के खिलाफ संगीन आपराधिक मामले दर्ज हैं, लेकिन राजनीतिक प्रभाव के चलते इन मामलों की कोई सुनवाई नहीं होती है। हर नेता अपने साथ अपराधियों की फौज लेकर चलता है। जिस राजनेता के साथ जितने अधिक अपराधी होते है, वह उतना ही बड़ा राजनेता है। अब तो हालत यह हो गई है कि राजनेता बनने से पहले अपराधी बनना जरूरी है। जनता के सामने मीठी-मीठी बातें करने वाले नेता अपनी बात मनवाने के लिए कई तरह के हथकंडे अपनाते हैं। अब तो लगता है कि गांधी के इस देश में अपराधियों का ही राज कायम होने वाला है। अपराधी जिसका सहयोग या समर्थन करते है, वही नेता चुनाव की वैतरणी को पार कर पाता है। ऊपर से बहुत ही अच्छे व्यवहार का प्रदर्शन करने वाला नेता पर्दे के पीछे क्या-क्या गुल खिला रहा है, ये अब किसी से छुपा नहीं है। भारतीय राजनीति

में अपराधियों का प्रभाव ही नहीं बढ़ा है, बल्कि अब राजनीति अपराधियों के लिए ही आरक्षित हैं। अच्छे और चरित्रवान लोग तो इस क्षेत्र में जाने का साहस ही नहीं जुटा पाते।

1970 के दशक में, शुरू में राजनेताओं ने चुनाव जीतने के लिए अपराधियों की मदद लेना शुरू कर दिया। अपराधी जल्द ही समझदार हो गए और उन्होंने सोचा कि क्यों दूसरों का समर्थन करें और क्यों न वे खुद आगे आएं और सत्ता के फल का आनंद लें, जो उन्हें अपनी सामान्य 'कड़ी मेहनत' से जितना मिल सकता है, उससे कहीं अधिक देगा। उस दशक में एक बीज के रूप में जो शुरू हुआ वह अब एक बड़ा पेड़ है। प्रत्येक आगामी लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में धीरे-धीरे उनकी दृश्यता में लगातार वृद्धि हुई है और उनकी गति बढ़ रही है। 1993 में वोहरा समिति की रिपोर्ट ने भी आपराधिक-राजनीति के संबंध की पुष्टि की थी। भले ही इस बात की हो-हल्ला होती रही हो कि कानून तोड़ने वालों को कानून नहीं बनाना चाहिए, लेकिन उन्होंने उन्हें दरवाजा दिखाने की अब तक की सभी कोशिशों को नाकाम कर दिया है. बिल्ली को घंटी कौन बंधेगा? सरकार के तीन अंग हैं - विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये आपराधिक तत्व स्वयं विधायिका के अंग हैं। वे कभी भी अपने नुकसान के लिए कानूनों में बदलाव नहीं चाहेंगे - इसलिए कोई उम्मीद नहीं है। कार्यपालिका उनके अधीन है - इसलिए फिर कोई आशा नहीं है। वह न्यायपालिका पर छोड़ देता है। इसने अपना काम किया है लेकिन जितना होना चाहिए था उतना नहीं हो रहा है। चुनाव लड़ने के दौरान उनके खिलाफ आपराधिक मामलों की घोषणा करने वाले हलफनामे, नामांकन दाखिल होने के बाद राजनीतिक दलों को अपने आपराधिक रिकॉर्ड प्रकाशित करने के लिए कहने, उनके खिलाफ मामलों की सुनवाई में तेजी लाने आदि के संबंध में उनके आदेश से कोई प्रभावी उपाय नहीं हुआ है। फिर भी, सुप्रीम कोर्ट ही एकमात्र उम्मीद है। लोकतंत्र में अंततः लोगों की इच्छा ही मायने रखती है। लेकिन इस मामले में, उन्हें शुद्ध करने के लिए एक बड़े आंदोलन में उठने की कोई संभावना नहीं है।

लोकतंत्र में शासनतंत्र की बागडोर जनता द्वारा चुने गए सांसदों एवं विधायकों के हाथों में होती है। भारतीय लोकतंत्र की यह दुर्बलता है कि यहां सांसदों-विधायकों का चुनाव अर्हता, योग्यता एवं गुणवत्ता के आधार पर न होकर, व्यक्ति, दल या पार्टी के धनबल, बाहुबल एवं जनबल के आधार पर होता है। यही कारण है कि राजनीति अपराध मुक्त नहीं बन पा रही है और इससे लोकतंत्र लगातार दूषित होता रहा है। यदि नेता कानून तोड़ने वाले हैं, तो नागरिक जवाबदेह और पारदर्शी शासन की उम्मीद नहीं कर सकते हैं और ऐसे में कानून के शासन से चलने वाला समाज दूर की कौड़ी है। आजादी के बाद हुए प्रत्येक चुनाव के साथ जीतने योग्य उम्मीदवारों को टिकट देते समय जाति, समुदाय, जातीयता, लिंग, धर्म आदि जैसी पहचानों की भूमिका प्रमुख होती गई। पैसे और बाहुबल के साथ इन पहचानों ने अपराधियों का राजनीति में प्रवेश आसान बना दिया है और बिना किसी अपवाद के हर राजनीतिक दल थोड़े बहुत अंतर के साथ इन अपराधियों का इस्तेमाल चुनाव जीतने के लिए करता है। कोई भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि वर्तमान राजनीति अपराध, बाहुबल और धन के जाल में फंसी हुई है। अपराध और राजनीति का गठजोड़ लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए गंभीर खतरा है। संसद, विधानसभा और यहां तक कि स्थानीय निकायों के चुनाव लड़ना बहुत ही मंहगा हो गया है। संसद की सामूहिक जिम्मेदारी है कि अपराधिक छवि वाले लोगों को राजनीति में आने से रोके और लोकतंत्र को

बचाए। संसद और चुनाव आयोग आवश्यक कदम नहीं उठा रहा, इसलिए भारत का लोकतंत्र अपराधियों, ठगों और कानून तोड़ने वालों के हाथों में सरक रहा है। अब्राहम लिंकन ने 19 नवंबर, 1863 को अपने गेटिसबर्ग संबोधन में लोकतंत्र को परिभाषित किया। उन्होंने कहा, "लोकतंत्र जनता की, जनता के द्वारा और जनता के लिए सरकार है।" लेकिन अब लोकतंत्र सिर्फ किताबों में ही नजर आता है। ऐसे में समाज का कल्याण कैसे हो सकता है?

एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) के अनुसार, आपराधिक आरोपों का सामना करने वाले लोगों के जीतने की संभावना निर्दोष और साफ-सुथरे लोगों की तुलना में अधिक है। एडीआर एक ऐसा संगठन है जो 1999 से चुनावी और राजनीतिक सुधार लाने के लिए लगातार काम कर रहा है। आइए नजर डालते हैं पिछले तीन चुनावों के आंकड़ों पर। 2004 की लोकसभा में चुने गए 24 प्रतिशत , 2009 में 30 प्रतिशत, 2014 में 34 प्रतिशत, वहीं 2019 की लोकसभा में 43 प्रतिशत सदस्य आपराधिक छवि वाले हैं। एक लोकतांत्रिक देश की इतनी खराब स्थिति निराश करती है। लोग डर के मारे वोट करते हैं। गुंडा और माफिया उन्हें एक खास पार्टी को वोट देने के लिए मजबूर कर रहे हैं। राजनीतिक दल अपने राजनीतिक एजेंडे को पूरा करने के लिए उन्हें लाभ के रूप में कुछ वादे देते हैं जिन्हें चुनाव प्रक्रिया समाप्त होते ही भुला दिया जाता है। भारतीय लोकतंत्र के जन्म के बाद से गुंडा और माफिया हमेशा चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा रहे हैं।

राजनीति के अपराधीकरण के कारण

(Causes Of criminalization of politics)

1. राष्ट्रीय चरित्र का पतन
2. गरीबी, अशिक्षा और बेरोजगारी
3. राष्ट्रीयता की भावना का अभाव
4. भौतिकवादी प्रवृति
5. राजनेताओं व राजनीतिक दलों द्वारा साधनों की पवित्रता में विश्वास न करना.
6. पुलिस, राजनीतिज्ञों, नौकरशाहों व अपराधियों में परस्पर अनैतिक सांठ गाँठ
7. चुनावी राजनीति पर बाह्य तत्वों का प्रभाव
8. जनता द्वारा अपराधिक प्रवृति के राजनीतिज्ञों की स्वीकार्यता
9. कानूनों को प्रभावशाली रूप से लागू न करने की व्यवस्था
10. न्यायिक प्रणाली की मूलभूत खामियाँ
11. दलीय राजनीति व सत्ता प्राप्ति की अत्यधिक राजनीतिक लालसा.
12. निर्वाचन प्रणाली की खामियाँ
13. शासन की क्षमता और गुणवत्ता में भारी गिरावट
14. अपराधिक तत्वों का समाज में दबदबा व स्वीकार्यता

15. धन, बल व राजनीति का मिश्रण
16. निष्पक्ष, ईमानदार व राष्ट्रहितों के प्रति कटिबद्ध नेतृत्व का अभाव

राजनीति के अपराधीकरण पर अंकुश लगाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश

1. सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार, राजनीतिक दलों (केंद्र व राज्य स्तर पर) को अपने चयनित उम्मीदवारों पर चल रहे आपराधिक मामलों की विस्तृत जानकारी अपने वेबसाइट पर साझा करनी होगी।
2. इसमें अपराध की प्रकृति, चार्टशीट, संबंधित न्यायालय का नाम और केस नंबर आदि जानकारियाँ शामिल हैं।
3. आदेश के अनुसार, प्रत्याशी पर दर्ज मामलों की विस्तृत जानकारी को एक राष्ट्रीय और एक स्थानीय भाषा के अखबार में प्रकाशित करने के साथ दल के आधिकारिक सोशल मीडिया खातों जैसे-फेसबुक, ट्विटर आदि पर भी साझा करना होगा।
4. यह अनिवार्य रूप से उम्मीदवारों के चयन के 48 घंटे के भीतर या नामांकन दाखिल करने की पहली तारीख के दो सप्ताह से कम समय में (जो भी पहले हो) प्रकाशित किया जाना चाहिये।
5. सर्वोच्च न्यायालय ने राजनीतिक दलों को आदेश दिया कि वे भारत निर्वाचन आयोग (**Election Commission of India**) के सामने 72 घंटे के भीतर अदालती कार्रवाई की अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करें अन्यथा उन दलों पर न्यायालय की अवमानना से संबंधित कार्रवाई की जाएगी।
6. इसके साथ ही राजनीतिक दलों को संबंधित प्रत्याशी के चयन का कारण बताना होगा और यह भी बताना होगा कि संबंधित प्रत्याशी के स्थान पर बिना आपराधिक पृष्ठभूमि वाले किसी अन्य व्यक्ति का चयन क्यों नहीं किया जा सका।
7. न्यायालय ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट किया है कि प्रत्याशी के रूप में चयन का कारण व्यक्ति की योग्यता, उपलब्धियों आदि के संदर्भ में होना चाहिये न कि उसकी चुनाव जीतने की क्षमता (**Winnability**) के संदर्भ में।
8. सर्वोच्च न्यायालय (**Supreme Court**) ने फरवरी, 2020 में राजनीतिक दलों को विधानसभा और लोकसभा चुनावों के लिये अपने उम्मीदवारों के संपूर्ण आपराधिक इतिहास को प्रकाशित करने का आदेश दिया, साथ ही उन कारणों को भी जिनसे उन्हें अपराधिक कृत्य करने के लिये मजबूर होना पड़ा था।
9. न्यायालय ने पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन बनाम भारत संघ (**Public Interest Foundation vs Union Of India), 2018** में राजनीतिक दलों को अपने उम्मीदवारों के लंबित आपराधिक मामलों को ऑनलाइन प्रकाशित करने का भी निर्देश दिया था।

राजनीति के अपराधीकरण पर गठित विभिन्न समितियां:

1. **संथानम समिति रिपोर्ट**, 1963 : इस समिति ने संदर्भित किया कि राजनीतिक भ्रष्टाचार अधिकारीयों के भ्रष्टाचार से अधिक हानिकारक है। इसने केंद्र तथा राज्य दोनों स्तरों पर सतर्कता आयोग की स्थापना की अनुशंसा की थी।
2. **वोहरा समिति रिपोर्ट**, 1993 : इसने भारत में राजनीति के अपराधीकरण की समस्या तथा अपराधियों, राजनेताओं तथा नौकरशाहों के मध्य गठजोड़ का अध्ययन किया। इस समिति ने राजनीति में बढ़ते अपराधीकरण और उनके राजनीतिक संरक्षण पर चिंता व्यक्त करते हुए इस समस्या के समाधान के लिये विभिन्न अपराध नियंत्रण संस्थाओं (सीबीआई, इनकम टैक्स, नारकोटिक्स आदि) की सहायता लेने की सलाह दी। हालाँकि इस रिपोर्ट को गृह मंत्रालय द्वारा अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है.
3. **इन्द्रजीत गुप्ता समिति**, 1998 : गुप्ता समिति ने अपनी रिपोर्ट में राजनीति में भ्रष्टाचार और अपराध को कम करने के लिये राज्य द्वारा चुनावी खर्च वहन किये जाने की सिफारिश की।
4. **पुलिस सुधारों पर पद्मनाभैया समिति** : इस समिति ने पाया कि पुलिस के राजनीतिकरण तथा अपराधीकरण से पृथक नहीं किया जा सकता। राजनीति के अपराधीकरण ने दंडाभाव की संस्कृति को सृजित एवं प्रोत्साहित किया है। यह संस्कृति एक अनैतिक पुलिसकर्मी को उसके किये गये कृत्यों एवं न किये गए कृत्यों के लिए अपराधों से संरक्षण प्रदान करती है.

अध्ययन की आवश्यकता (Justification of the Study)

लोकतंत्र में जनता को यह पूर्ण अधिकार है कि जनता अपने मत का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र है। जनता जैसे व्यक्ति / पार्टी को चुन सकती है वैसे नेता और सरकार बनती हैं,तो सवाल उठता है कि जनता को यह अधिकार है तो फिर वह स्वच्छ छवि वाले नेता को चुनती क्यों नहीं है? कहीं-न-कहीं समाज में ऐसे लोगों का वर्चस्व है जो जनता को ऐसा करने के लिए मजबूर करता हो, हमारी व्यवस्था, हमारे समाज में कहीं न कहीं कमी है। तभी तो आज राजनीति में अपराधी प्रवृत्ति के लोगों की संख्या पिछले 2 दशक से लगातार बढ़ रही है।

हमारा समाज भी ऐसे लोगों को चाह रहा है। यदि ऐसा है तो आने वाले समय में हमारी आने वाली पीढ़ी अपराधी ही होगी और लोकतंत्र का आधारभूत उद्देश्य तब इस देश में नहीं होगा। यह समस्या समाज और देश के लिए एक गंभीर समस्या है। मतदान व्यवहार में राजनीतिक अपराधियों की भूमिका भी कितनी होती है यह अध्ययन करने के विषय का मुख्य कारण रहा है। मतदान में मतदाता स्वतंत्र निर्णय क्यों नहीं ले सक रहा है, चुनाव आयोग, और न्यायिक प्रक्रिया में कमी रह गयी है। राजनीति का अपराधीकरण एक ऐसी समस्या है जो सरकारी व्यवस्था के भीतर से उत्पन्न हुई है और धीरे-धीरे इस देश की हर लोकतांत्रिक संस्थाओं को पंगु बनाने की कोशिश कर रही है। राजनीति का अपराधीकरण व्यवस्था में इतनी गहराई से घुस गया है कि सिद्धांत और अवधारणा जैसे कानून का शासन, राजनीतिक जवाबदेही, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, लोकतंत्र, स्वतंत्रता, भाषण और अभिव्यक्ति ने अपनी विश्वसनीयता खो दी है।

साहित्य समीक्षा (Review of Literature)

राजनीतिक अपराधीकरण पर साहित्य का व्यवस्थित निकाय मौजूद नहीं है। इस समस्या पर कोई व्यवस्थित अध्ययन नहीं हुआ है। इसलिए, इस विषय पर विशेष रूप से भारतीय संदर्भ में साहित्य की समीक्षा लिखना मुश्किल है। हालाँकि, यहाँ राजनीति के अपराधीकरण पर साहित्य की एक संक्षिप्त समीक्षा या तो पुस्तकों या लेखों के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया जा रहा है जो सीधे हमारे अध्ययन से संबंधित हैं।

डॉ. पुखराज जैन और डॉ. बी. एल. फाड़िया, भारतीय शासन एवं राजनीति (राज्यों की राजनीति सहित), साहित्य भवन पब्लिकेशन: आगरा, पृष्ठ संख्या- 886- 881

लेखकों ने इस पुस्तक में 'राजनीति का अपराधीकरण' एक अध्याय में राजनीति के अपराधीकरण के उदय और निरंतर बढ़ते हुए दुष्चक्र के कई कारणों का बहुत ही विस्तृत तरीके से उल्लेख किए हैं। इसमें रॉबिनहुड छवि जैसे शब्दों का उल्लेख कर उसका अर्थ भी समझाया गया है। बिहार और कई राज्यों में हो रही राजनीति के अपराधीकरण पर भी इस अध्याय में प्रकाश डाला गया है। राजनीतिज्ञों, अपराधी तत्वों और पुलिस का जब एक त्रिभुज बन जाता है तब राजनीति का अपराधीकरण लगभग संपूर्ण अंशों में हो जाता है। इसके अलावा इस अध्याय में राजनीति के अपराधीकरण के बढ़ते हुए चरण और वर्तमान स्थिति का भी जिक्र किया गया है।

परिकल्पना (Hypothesis)

1. आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों के राजनीति में प्रवेश से लोकतंत्र को खतरा हो सकता है।
2. आधुनिकीकरण ने राजनीति के अपराधीकरण को जन्म दिया है।
3. राजनीति के अपराधीकरण का देश की न्यायिक प्रक्रिया पर एक गंभीर प्रभाव पड़ा है।
4. राजनीतिक दलों की इच्छाशक्ति के अभाव ने इस समस्या को गंभीर एवं जटिल किया है।
5. राजनीति का अपराधीकरण समाज में हिंसा की संस्कृति को प्रोत्साहित करता है और भावी जनप्रतिनिधियों के लिए एक गलत उदाहरण भी प्रस्तुत करता है।
6. राजनीति में प्रवेश करने वाले अपराधी सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं और नौकरशाही, कार्यपालिका और विधायिका को भी प्रभावित करते हैं।
7. नेता और अपराधियों के बीच साठ-गांठ ने लोकतंत्र को नकारात्मकता की ओर ले गया है।
8. शक्ति और सत्ता की लालसा ने राजनीति के अपराधीकरण को बढ़ाया है।
9. चुनावी प्रक्रिया और न्यायिक प्रक्रिया की खामियों ने राजनीति के अपराधीकरण को जन्म दिया है।
10. राजनीतिक अपराधीकरण समाज, राजनीति, प्रशासन और अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है।

अध्ययन का उद्देश्य (Objectives of the Study)

1. राजनीतिक दलों द्वारा आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों को टिकट देने के कारणों को जानना।
2. चुनाव आयोग इन अपराधियों के लिए किन उपायों का प्रयोग करता है, उनका पता लगाना।
3. समाज के लोग आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों को किस नजर से देखते हैं, उनकी समस्याओं का पता लगाना।
4. राजनीतिक अपराधियों के प्रति मतदान व्यवहार का पता लगाना।
5. राजनीतिक अपराधियों के प्रति न्यायिक प्रक्रिया में देरी के कारणों को जानना।
6. नेताओं और अपराधियों के बीच साठ-गांठ के कारणों का पता लगाना।
7. राजनीति के अपराधीकरण के लिए उत्तरदायी कारणों का पता लगाना।
8. राजनीतिक व्यवस्था में व्याप्त उन दोषों एवं कारणों की खोज करना जिसने अपराधी एवं माफिया को राजनीति में प्रवेश एवं चुनाव लड़ने के लिए मार्ग प्रशस्त किया।

अध्ययन की पद्धतियाँ एवं प्रविधि (Methods & Techniques)

उपरोक्त परिकल्पनाओं और उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए इस शोध विषय के अध्ययन के लिए द्वितीयक स्रोत जैसे भारत सरकार द्वारा स्थापित विभिन्न आयोगों, संसद में इस विषय पर वाद-विवाद, चुनाव आयोग द्वारा चुनाव परिणाम तथा विभिन्न प्रकार के रिपोर्टों एवं प्रकाशित शोध लेख, समाचार पत्रों, न्यायालयों के निर्णय आदि के अध्ययन से तथ्यों का संकलन किया गया है।

सुझाव और सिफारिशें (Suggestions and Recommendations)

1. राजनीतिक दलों की मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति की जरूरत है। राजनीतिक पार्टियों और राजनेताओं को आपराधिक गतिविधियों के आरोप वाले किसी भी व्यक्ति की भर्ती नहीं करनी चाहिए। सभी राजनीतिक दलों को एक दूसरे पर दोषारोपण करने के बजाय आम सहमति से आपस में आचार संहिता विकसित करनी चाहिए और ऐसे आपराधिक तत्वों को टिकट नहीं देना चाहिए।
2. यदि अदालत द्वारा ऐसे व्यक्ति के खिलाफ आरोप तय किए जाते हैं तो उम्मीदवार को चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
3. सरकार पर दबाव बनाने के लिए सतर्क जनमत भी जरूरी है।
4. चुनावी प्रक्रिया की अस्वस्थता के प्रति लोगों को संवेदनशील बनाना होगा। तभी स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान हो सकेगा, जिससे भारत में लोकतंत्र को मजबूती मिलेगी।
5. नागरिक समाज और स्वयंसेवी समूहों के साथ-साथ युवा जन स्तर पर जागरूकता फैला सकते हैं ताकि लोग शिक्षित, ईमानदार, समर्पित, पारदर्शी और योग्य उम्मीदवारों को अपने राजनीतिक प्रतिनिधि के रूप में चुन सकें।

6. अदालतों को राजनेताओं के खिलाफ मामलों का जल्द से जल्द निपटारा करना चाहिए ताकि आपराधिक आरोपों वाला व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सके।
7. राजनीति के अपराधीकरण के मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालतों की स्थापना की आवश्यकता है। राजनीति के लगातार बिगड़ते मानकों को ध्यान में रखते हुए, राजनेताओं के सभी मामलों का विशेष अदालतों में परीक्षण करना अधिक वांछनीय होगा। यह चुनाव की पवित्रता और शुद्धता बनाए रखने में मदद करेगा।
8. चुनावों में खर्च किए गए बेहिसाबी धन पर लगाम लगाने की जरूरत है जो कि भारत में राजनीति के अपराधीकरण का मूल कारण है।
9. गंभीर अपराधों के आरोपी और जिनके खिलाफ पर्याप्त सबूत उपलब्ध हैं, उन्हें चुनाव लड़ने से तब तक वंचित रखा जाना चाहिए जब तक उनके खिलाफ या जब तक उन्हें अदालतों द्वारा बरी नहीं किया जाता है, तब तक उनके खिलाफ मामला अस्वीकृत कर दिया जाता है।
10. दोषी व्यक्तियों को जीवन भर चुनाव लड़ने से वंचित किया जाना चाहिए।
11. चुनाव आयोग द्वारा आपराधिक आरोपों वाले उम्मीदवारों के विवरण और उनके अपराध के बारे में संपूर्ण विवरण के साथ विशेष सूची जारी की जानी चाहिए। यह सूची प्रत्येक मतदान केंद्र पर प्रत्याशी सूची के साथ चिपकाई जानी चाहिए।
12. राजनीतिक दलों को उम्मीदवारों के सभी प्रासंगिक विवरणों की घोषणा करनी चाहिए। इसके अलावा उम्मीदवार खुद को भी अपने अपराध का खुलासा करना चाहिए।

संदर्भ सूची (References)

1. एस. के. घोष, 'बिहार इन फ्लेम्स', ए. पी. एच. प्रकाशन निगम, नई दिल्ली, 2000, पृष्ठ सं.- 139
2. संदीप सिंह चौहान, 'भारतीय राजनीति में अपराधीकरण का बढ़ता प्रभाव (सामान्य विश्लेषण): वर्ल्ड वाइड जर्नल ऑफ मल्टीडिसीप्लिनरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट (WWJMRD) 2015: 1 (5): 53-56
3. अमितेंद्र प्रताप सिंह, 'राजनीति का अपराधीकरण और वोहरा कमेटी की रिपोर्ट', श्रृंखला एक शोधपरक वैचारिक पत्रिका, Vol-IV, Issue-1, September 2016
4. अनिल वर्मा, 'भारतीय लोकतंत्र एवं चुनाव सुधार की आवश्यकता', योजना, जुलाई-2014, पृष्ठ सं.- 9-12
5. जी. के. अग्रवाल, "भारतीय समाज मुद्दे एवं समस्याएं", साहित्य भवन पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स (प्रा.) लि.: 34, लाजपत कुज, आगरा- 282002, पृष्ठ संख्या- 286
6. डॉ. पुखराज जैन और डॉ. बी. एल. फाड़िया, "भारतीय शासन एवं राजनीति" (राज्यों की राजनीति सहित), साहित्य भवन पब्लिकेशन: आगरा, पृष्ठ संख्या- 886- 881
7. नरेन्द्र मोहन, "आज की राजनीति और भ्रष्टाचार" पृष्ठ संख्या -102
8. विशाल जयसवाल, "मोदी के अपराध मुक्त राजनीति के वादे" द वायर, 26 अप्रैल 2019, पृष्ठ संख्या -10

9. अरविंद जैन, "राजनीति का अपराधीकरण और अपराध का राजनीतिकरण" द फारवर्ड प्रेस, 31 मार्च 2019
10. डॉ. सुमनप्रीत कौर और गुलशनदीप क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स इन इंडिया: इवोल्यूशन एण्ड कॉसेज, जेईटीआईआर अक्टूबर 2020, वॉल्यूम 7, इश्यू 10
11. https://www.drishtiias.com, "राजनीति का अपराधीकरण: समस्या व समाधान" 11 जुलाई 2020.